operating from jungles bordering Karnataka and Tamil Nadu for quite some years, is hogging headlines in national dailies once again. Unlike past occasions, when abducted persons were let off by him, he has fired the fatal shot this time, causing the demise of the former Karnataka Minister, Shri Nagappa. The Government of Karnataka has taken it as a challenge and has vowed to weed out and eliminate him in a combing-cum-capture process which is launched.

Sir, it is imperative that a Centrally-sponsored special task force be deployed in the problem area to nab the brigand, since our armed forces have special combat groups familiar with the jungle warfare and have adequate exposure to topographical features of the terrain similar to MM Forest Range—Satyamangalam areas of Karnataka and Tamil Nadu. Therefore, it would be expedient to spare such a force to track down and capture the brigand, once for all.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, I associate myself with this.

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal): Sir, I also associate myself with this Special Mention.

Need to establish Indian National Gramin Bank

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे तत्कालीन सरकार की अवधारणा थी कि भारतीय गांवों में जहां आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे सरोकार रखता है, को महाजनी मकड़जाल से मुक्ति दिलाकर कृषि ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि में वित्तीय सहायता ग्रामीण बैंक प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। इस उद्देश्य में देश के कई राज्यों में सफलचित्र नजर भी आए। किन्तु दिनांक 11.12.2002 को ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन एवं आफिसर्स आर्गनाइजेशन के आह्वाहन पर देश के 23 राज्यों में कार्यरत् 196 आर॰आर॰बी॰ से आए हजारों ग्रामीण बैंक कर्मियों ने संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि ग्रामीण साख व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए देश के 196 आर॰आर॰बी॰ को मिलाकर शीघ्र संसद में विधेयक लाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए क्योंकि सभी 196 बैंकों को मिलाकर यह आर॰आर॰बी॰ लाभ अर्जित कर रही है। दिनांक 31.3.2001 तक कुल 1265 करोड़ रुपए की रिजर्व राशि जमा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन के लिए समुचित है। 28 अगस्त, 1992 को नाबार्ड के अध्यक्ष एवं 5.9.92 को भारतीय रिजर्व बैंक समेत अन्य व्यवसायिक बैंकों के ग्रुप के द्वारा भी इस मांग को स्वीकृत किया गया था। वित्त मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने भी अपनी चौथी रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के गठन की अनुशंसा की थी। लोक सभा में 1993 से ही विभिन्न दलों

के सांसदों ने इस मांग का समर्थन किया। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि चलपतिराव समिति की जनविरोधी अनुशंसाओं को निरस्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू एवं सुदृढ़ करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए।

श्री तारिणी कांत राय (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विजय सिंह यादव (बिहार): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूं। महोदय, यह आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है।

श्री सभापति: ठीक है। आप असोसिएट हो गये हैं।

श्री बालकवि बैरागी: महादेय, आप देहात की रक्षा नहीं करेंगे तो ये सारे बैंक निजीकरण में चले जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें बचाने की कृपा करें।

Need for giving honorarium and other facilities to Anganwadi Workers

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के कर्मियों एवं सहकर्मियों को बढ़े हुए मानदेय एवं अन्य सुविधाओं को शीघ्र दिये जाने का अनुरोध करती हूं। सन् 1976 में आई॰सी॰डी॰एस॰ की परिकल्पना के साकार होने पर देश भर में कई हजार केन्द्र खोले गए। आज 27 वर्ष बाद देश में बहुत कुछ बदला पर इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों का जीवन घोर उपेक्षा और असहायता के अंधकार में ही डूबा रह गया है। इन्हें शिशु स्वास्थ्य देखभाल, पूर्व प्राथमिक शिक्षादान, सांस्कृतिक शिक्षा, साक्षरता, पोलियों टीकाकरण, गर्भवती के पौष्टिक आहार संबंधी परामर्श, नियमित परिमाण में जरूरी दवा देने से लेकर जन्म और मृत्यु का हिसाब तक रखने का काम करना पड़ता है। अब सरकार के इन्हें पंचायतों के सुपुर्द करने के निर्णय से इनका कार्यभार और बढ़ता जा रहा है। सरपंच उनसे अतिरिक्त काम भी करवाते हैं और उनका शोषण दोहरा हो गया है। अब तक उन्हें मात्र सात सौ और चार सौ साठ रुपए दिये जाते हैं। इसमें से भी दो सौ रुपए प्रतिमाह काट लिए जाते हैं जो वर्ष में कभी एक साथ दे दिये जाते हैं। इनके लिए भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी, अवसरकालीन सुविधा, पेंशन जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जातीं। ये नो वर्क नो पे सिस्टम पर वर्ष दर वर्ष काम करती हैं। स्त्री